

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 165

प्रकरण क्रमांक- SM-EXP-2024-02300

आवेदक : छ.ग. रेरा विरुद्ध "देवधर अपार्टमेंट", प्रमोटर-साई राम बिल्डर्स, द्वारा-श्री गोपाल प्रसाद अग्रवाल, पता-विकास नगर, कोटरा रोड, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)
प्रोजेक्ट-"देवधर अपार्टमेंट", पता-जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
03/06/2024	<p>— प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>— अनावेदक द्वारा प्रतिनिधि सी.ए. श्री भुनेश्वर उपस्थित।</p> <p>उनके द्वारा पूर्णता एवं अधिभोग अनुज्ञा प्रमाण पत्र की छायाप्रति पेश किया गया। अनावेदक द्वारा दिनांक 06.10.2023 को विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।</p> <p>अनावेदक के विरुद्ध राशि 5,000/- (पांच हजार रुपये) शास्ति अधिरोपित की जाती है।</p> <p>अनावेदक द्वारा शास्ति की राशि निर्धारित शीर्ष मद में दिनांक 03.06.2024 को जमा कर चालान की मूल प्रति पेश किया गया। मूल प्रति लेखा शाखा को प्रेषित कर प्रकरण में छायाप्रति संलग्न करे। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया गया।</p> <p>— आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>— प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	